सप्तदश

बिहार विधान सभा

चतुर्थ सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 11 अग्रहायण, 1943 (श०) / 02 दिसम्बंर, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 147

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	..	..	10
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	49
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	23
(4)	कृषि विभाग	..	..	33
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	..	..	15
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	12
(7)	सहकारिता विभाग	..	..	05
			कुल योग --	147

चिकित्सक की नियुक्ति

*338. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के बारूण प्रखंड अन्तर्गत पशु चिकित्सालय अधूरे नवनिर्मित भवन में संचालित हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बारूण पशु चिकित्सालय में एक चिकित्सक का पद सृजित है, जिसमें पशु चिकित्सक अतिरिक्त प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र की जनता को पशु चिकित्सा की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बारूण पशु चिकित्सालय के भवन का अधूरा कार्य पूरा कराकर पूर्णकालिक पशु चिकित्सक की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*339. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बखरी अनुमंडल में वर्ष 2017 से भूमि सुधार उप-समाहर्ता का पद खाली है, जिसके कारण अनुमंडल क्षेत्र का लघु विवाद, म्यूटेशन अपील, पट्टाधारियों का दखल आदि महत्वपूर्ण कार्य पिछले तीन वर्षों से बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बखरी अनुमंडल में भूमि सुधार उप-समाहर्ता को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क एवं नाली बनाना

*340. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम शहर में धर्मशाला रोड, (गाँधी स्मारक) से मवेशी अस्पताल तक सड़क एवं नाली नहीं बना है, जिसके कारण सड़क पर जल-जमाव रहता है, जिससे लोगों को आने-जाने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर कबतक सड़क एवं नाली बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैण्ड का निर्माण करना

*341. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के नगर पंचायत मेहसी में बस स्टैण्ड नहीं है, जिससे यात्रियों को आने-जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मेहसी में बस स्टैण्ड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*342. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-42 नरपतगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि इस वर्ष अररिया जिला के नरपतगंज विधान सभा क्षेत्र में विगत अक्टूबर माह में हुई अतिवृष्टि एवं नेपाल से आये बाढ़ के कारण किसानों का खरीफ (धान व पाट) एवं रब्बी (आलू, कोबी, बैंगन वगैरह) का फसल बर्बाद हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार आच्छादित खरीफ एवं रब्बी फसलों के नुकसान से कबतक किसानों को मुआवजा देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

डुेनेज सिस्टम बनाना

*343. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महुआ नगर परिषद् क्षेत्र में स्थित वैशाली उच्च विद्यालय, महुआ में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं रहने के कारण विद्यालय में जल-जमाव रहता है, जिससे छात्रों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में ड्रेनेज सिस्टम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दंडित करना

*344. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग द्वारा योजनाओं के प्रचार-प्रसार मद में नालन्दा जिला को कुल आवंटित राशि से तीन वर्षों में पाँच बार जिलास्तर पर 16 फ्लैश बैनर एवं सभी प्रखंड में 20-20 फ्लैश बैनर लगाने का कार्य चयनित प्रेस से कराकर उसे तीन वर्षों में अलग-अलग किस्तों में भुगतान किया जाना था ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा नियमों का पालन नहीं करते हुये गलत तरीके से कुल राशि का भुगतान एक ही वर्ष 2019-20 में कर दिया गया और सरकारी राशि का बंदरबांट कर लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कार्य पूरा कराना

*345. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत भारत-नेपाल सीमा पर स्थित जयनगर पंचायत, जयनगर में बरसात सहित अन्य समय में भी जल-जमाव के कारण नारकीय स्थिति बनी रहती है, जिस कारण आमलोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत जयनगर में नाला निर्माण हेतु 98 करोड़ रुपये की लागत का मास्टर प्लान स्वीकृति हेतु तीन वर्ष पहले विभाग को भेजा गया, परंतु आजतक स्वीकृति हेतु लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक नगर पंचायत, जयनगर में नाला निर्माण की राशि की स्वीकृति देकर निर्माण कार्य पूरा कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*346. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई नगर पंचायत के गठन के सात वर्ष हो जाने के बावजूद आजतक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबों को उपलब्ध नहीं करवाया गया है, जबकि लोगों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भी किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार विशेष अभियान चलाकर बारसोई नगर पंचायत में गरीबों को कबतक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*347. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरुआ)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के कुल 24 प्रखण्डों में सी0 एम0 आर0 गोदामों की संख्या कम रहने के कारण पैक्स एवं व्यापार मंडल का ससमय सी0 एम0 आर0 जमा नहीं हो पाता है तथा पैक्सों को अधिक सूद का वहन करना पड़ता है, जिस कारण पैक्स या व्यापार मंडल डिफोल्टर हो जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जिला के 24 प्रखण्डों में सी0 एम0 आर0 गोदामों की अनुपात के हिसाब से नया गोदाम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*348. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम शहर में मात्र एक शवदाह गृह बादशाही पुल पर है, जिसपर अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आमजनता को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त शवदाह गृह को कबतक अतिक्रमण से मुक्त कर क्रियाशील करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*349. श्री विजय कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के कोचस प्रखंड में कोचस बस स्टैण्ड का निर्माण 1995 में हुआ था, जिसके 10 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमणकारी द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसे मुक्त करने हेतु जिलाधिकारी, रोहतास द्वारा अंचल पदाधिकारी, कोचस को निदेश दिया गया है, परन्तु उक्त जमीन को अभीतक कब्जा से मुक्त नहीं किया जा सका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धान क्रय करवाना

*350. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में सरकार द्वारा किसानों से 01 नवम्बर से धान क्रय करने के आदेश के बावजूद अभीतक किसानों से धान क्रय नहीं किया जा रहा है साथ ही धान में 17 प्रतिशत नमी का प्रावधान किया गया है, जबकि नवम्बर माह तक 20 प्रतिशत तक धान में नमी रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार धान में नमी सीमा की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए सभी किसानों से कबतक धान क्रय करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*351. श्री चेतन आनन्द (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला के शिवहर प्रखण्ड में पशु चिकित्सालय निजी भवन पर चल रहा है जिसके कारण मवेशी पालकों को इलाज कराने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सालय को सरकारी जमीन पर भवन का निर्माण कराकर कबतक चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार रखना

*352. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में पिछले 5 वर्षों में दलहनों की कुल उत्पादकता में 2.73 प्रतिशत की कमी आई है, जिसमें सबसे कम उत्पादकता 426 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अररिया जिला में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य में दलहन की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही अररिया जिला के किसानों को दलहन का उत्पादन बढ़ाने हेतु कौन-सी कार्य योजना का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था ठीक करना

*353. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा नगर निगम स्थित हथुआ मार्केट में नाला की सफाई नहीं होने के कारण जल-जमाव के साथ पार्किंग एवं शौचालय व्यवस्था आदि नहीं होने के कारण दुकानदार व ग्राहकों को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार हथुआ मार्केट में उक्त व्यवस्था को कबतक ठीक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ

*354. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुंबा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत जलछाजन योजना के तहत भूमि संरक्षण हेतु कराये गए कार्य विभागीय लापरवाही के कारण अनुपयोगी हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराकर उक्त योजना का लाभ किसानों को देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मूल्य बढ़ाना

*355. श्री मनोज मँजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बढ़ती महंगाई और डीजल की बढती कीमतों के कारण धान सहित विभिन्न फसलों की लागत काफी बढ़ गयी है, लेकिन बावजूद इसके धान के फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जा रहा है जिससे किसानों में काफी रोष है, यदि हाँ, तो सरकार धान के फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान देना

*356. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर विधान सभा क्षेत्र के बागमती नदी के उत्तर के पंचायत बाढ़ से प्रभावित थे, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किए जाने के कारण नदी के उत्तर के पंचायतों के किसानों को सरकार के द्वारा मिलने वाले अनुदान राशि से वंचित होना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार सर्वेक्षण करा कर उक्त विधान सभा के छुटे हुए पंचायतों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर किसानों को अनुदान कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पाठ्यक्रम संचालित करना

*357. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में मात्र एग्रीकल्चर एवं हार्टिकल्चर संकाय की पढ़ाई संचालित है, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, मत्स्य एवं गव्य प्रौद्योगिकी संकाय का पाठ्यक्रम संचालित नहीं है, फलतः इसके अंगीभूत महाविद्यालयों में भी ये पाठ्यक्रम संचालित नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर और उसके अंगीभूत महाविद्यालयों में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, मत्स्य एवं गव्य प्रौद्योगिकी संकाय का पाठ्यक्रम संचालित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*358. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि डिहरी डालमियानगर नगर परिषद् में नल जल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में संवेदक और अफसरों के मिलीभगत से सरकारी राशि का बड़े पैमाने पर गमन हुआ है, जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा वरीय पदाधिकारी से करने पर अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कर दोषियों पर कबतक कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

*359. श्री शम्भूनाथ यादव (क्षेत्र संख्या-199 ब्रहमपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के चक्की प्रखंड के चक्की ग्राम में किराये के मकान में पशु चिकित्सालय के पास जगह कम होने के कारण बीमार पशुओं को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है, साथ ही डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं एवं पशुओं को दवा भी नहीं मिलती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय के लिये जमीन क्रय कर भवन बनाने, पशुओं को दवा की उपलब्धता के साथ पशु चिकित्सक की कबतक उपस्थिति सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*360. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा नगर पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं० 1, एन०एच० 19 स्थित त्रिपाठी मास्टर साहब के घर से मानुपुर बाजार तक सड़क जर्जर अवस्था में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सड़क के दोनों ओर घनी आबादी आवासित है, पक्का नाला नहीं रहने के कारण घरों से निकलने वाले नालियों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाने से सालोंभर जल-जमाव रहता है, जिससे मोहल्लावासियों के साथ-साथ राहगीरों को भी आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान के सड़क का निर्माण नाला के साथ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु अस्पताल चालू कराना

*361. श्री रामचन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हायाघाट)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के अन्तर्गत हायाघाट विधान सभा क्षेत्र में

सहोड़ा, आनन्दपुर पंचायत के महारानी, लक्ष्मीपुर, डयोढ़ी में अवस्थित पशु अस्पताल बीस वर्षों से बंद पड़ा है एवं उक्त अस्पताल का भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बंद पड़े पशु अस्पताल के भवन का निर्माण कराकर पशु अस्पताल को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गली-नली बनाना

*362. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या- 196 तरारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो नगर परिषद् के वार्ड नं० 08 में बस स्टैण्ड के पास 40 महादलित परिवार कच्चे मकान में रहते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मोहल्ले में पक्की गली-नली नहीं होने से जल-जमाव लगा रहता है, जिससे महादलित परिवार संक्रामक बीमारियों के शिकार होते रहते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मोहल्ले के 40 महादलित परिवारों के लिये पक्के मकान बनाने के साथ पक्की गली-नली बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मरम्मती कराना

*363. श्री विजय कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा, दावत एवं सूर्यपुरा प्रखण्ड में वर्ष 2015 में 100 की संख्या में लगाया गया एंडिया मार्ट चापाकल 2018 से खराब है, जिससे आमजनता को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में खराब पड़े चापाकल को मरम्मती कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन वितरण करना

*364. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर के पीरपैंती अंचल अन्तर्गत तुण्डवा-मुंडवा मौजा का लगभग 10 एकड़ सरकारी जमीन रहम अली एवं अन्य खास व्यक्ति के नाम गलत ढंग से बंदोबस्त कर दिया गया है, जबकि क्षेत्र के कटाव पीड़ितों एवं भूमिहीनों को बसने के लिये जमीन उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर गलत बंदोबस्ती को रद्द करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन दिलाना

*365. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज नगर पंचायत के दरियापुर और मिल्की गाँव के कुल 38 महादलित परिवारों को बंदोबस्ती केस नंबर 22, वर्ष 2009-10 के परवान के साथ 3 डिसमिल गैर-मजरूआ आम जमीन का पर्चा मिला है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा उक्त भूमिहीन महादलित परिवारों को अभीतक पर्चे के जमीन पर कब्जा नहीं कराया गया है, जिसके कारण इन्दिरा आवास की सूची में नाम होने के बावजूद योजना के लाभ से वंचित रखा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन 38 भूमिहीन महादलित परिवारों को पर्चा पर दखल कब्जा कबतक दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि उपलब्ध कराना

*366. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाऊदनगर नगर परिषद् में तीन वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 491 आवासों की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गयी थी तथा विशेष सचिव पत्रांक-03/एच०एफ०ए०-10/2016 (खंड), दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के द्वारा 1 करोड़ 11 लाख की राशि का आवंटन पत्र भेजा गया है, परन्तु अभीतक राशि उपलब्ध नहीं किये जाने से उक्त वर्णित आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित आवासों के निर्माण हेतु 1 करोड़ 11 लाख की राशि उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जल निकासी कराना

*367. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अंतर्गत मैरवा नगर पंचायत में स्थित भोपतपुरा गाँव से मझौली रोड श्रीनगर-हरपुर होते हुये झरही नदी तक मुख्य नाला के सकरा (पतला) एवं जाम होने के कारण मैरवा से पश्चिम स्थित बड़गाँव पंचायत तथा नगर पंचायत के दर्जनों गाँव पानी में प्राय: डूबा रहता है, जिसके कारण हजारों एकड़ फसल प्रत्येक साल बर्बाद हो जाती है तथा रब्बी की बुआई एवं मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी छ: माह से बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों का कबतक जल निकासी कर किसानों को राहत दिलाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*368. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 1297, दिनांक 4 जुलाई, 2016 के द्वारा गुलाबबाग मेला ग्राउंड में पार्क निर्माण हेतु 288.59 लाख की स्वीकृति दी गयी थी परंतु उक्त मेला ग्राउंड का स्थायी परती जमीन नहीं रहने के कारण विभागीय लापरवाही से निर्माण कार्य लंबित है, जबकि पूर्णियाँ प्रमंडल आयुक्त द्वारा पत्रांक-746, दिनांक 2 मार्च, 2021 के द्वारा गुलाबबाग मेला ग्राउंड को स्थायी परती जमीन घोषित करने संबंधी अभिलेख अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना को भेजा गया था ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त योजना को लम्बे समय तक लंबित रखने की जाँच करते हुये गुलाबबाग मेला ग्राउंड को स्थायी परती जमीन घोषित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*369. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत भूमि संरक्षण के माध्यम से जल संचय एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु कराये जा रहे कार्य लाभुक किसान के बदले बिचौलिये से कराया जा रहा है तथा कार्य को कई खंडों में बाँट कर कराया जाता है, जिसके चलते लाभुक किसानों को कार्य का लाभ नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

टर्मिनल का निर्माण कराना

*370. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला मुख्यालय में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आधुनिक बस टर्मिनल निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2020 में दिया गया था, परंतु विभागीय लापरवाही के कारण अबतक टर्मिनल का निर्माण नहीं हो सका है जिसके कारण पूर्णियाँ से प्रतिदिन लगभग एक हजार बस का परिचालन पुराने जर्जर बस स्टैंड से हो रहा है, जिससे बस संचालक एवं यात्री को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण पूर्णियाँ जिला मुख्यालय में कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*371. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला स्थित उदाकिशुनगंज प्रखंड के वर्तमान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के विरुद्ध सरकारी नियमों के विरुद्ध मानमाने ढंग से ओवर ड्राफ्ट करने वाले बिक्रेताओं से सांठ-गांठ कर अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के अदेश के विरुद्ध कार्य करने का आरोप प्रतिवेदित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुमंडल पदाधिकारी, उदकिशुनगंज द्वारा अपने पत्रांक 138/गो०, दिनांक 23 फरवरी, 2021 द्वारा अपने विस्तृत प्रतिवेदन में वर्तमान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता के कारण अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु प्रतिवेदित किया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्तमान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के विरुद्ध जाँच कराकर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*372. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला में विशेष बेगूसराय विधान सभा के लगभग सभी पंचायतों में विगत माह अत्यधिक वृष्टि के कारण कृषकों का धान का फसल बर्बाद हो गया जिस कारण भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उक्त स्थानों के किसानों का फसल के नुकसान का उचित मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*373. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कहलगाँव, सन्हौला एवं गौराडी प्रखंडों में 8 पशु चिकित्सालय हैं, जो 3 पशु चिकित्सक द्वारा संचालित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में स्थित सभी पशु अस्पतालों में समुचित इलाज हेतु पशु चिकित्सकों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्लांट लगाना

*374. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला का मेहसी लीची उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है लेकिन यहां लीची प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने से लीची उत्पादक किसानों को अधिक लाभ नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मेहसी परिक्षेत्र में लीची प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*375. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सीतामढ़ी, बाजपट्टी, नानपुर, बोखरा सहित अन्य प्रखंडों में बीते बरसात तौते तूफान, यास तूफान और गुलाब तूफान के कारण रब्बी एवं खरीफ फसल की काफी क्षति हुई है, यदि हाँ, तो सरकार क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन कर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*376. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड विधान सभा अन्तर्गत पुपरी प्रखंड के पंचेश्वर नाथ सरकारी पोखर के घाट पर रेलिंग नहीं है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पोखर के चारों तरफ घाट एवं स्टील रेलिंग का निर्माण कार्य कराने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरित करना

*377. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत हसपुरा प्रखंड के हसपुरा एस0 जलसा सब्जी मंडी का निर्माण 1992 में किया गया था, परंतु आजतक उक्त स्थान पर सब्जी मंडी स्थानांतरित नहीं किये जाने के कारण हसपुरा बाजार में ही सब्जी की बिक्री होती है, जिसके कारण प्रायः जाम लगा रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सब्जी मंडी को एस0 जलसा सब्जी मंडी में स्थानांतरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा दिलाना

*378. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत सिंघवारा प्रखंड के ग्राम-बहुआरा, पंचायत-हरिहरपुर पश्चिमी, केवटी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-बगडीहा, पथरा खिरमा, बेहटवारा, बाढ़, समैला सहित अन्य पंचायतों में तालाब या सड़क किनारे बसे भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण सरकारी लाभ से वंचित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर बसे भूमिहीन परिवार को सर्वे कराकर जमीन उपलब्ध करने तथा उन्हें बासगीत पर्चा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*379. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज नगर परिषद् द्वारा कृषि बाजार समिति रोड स्थित नागेन्द्र तिवारी चौक पर जलमीनार (पानी टंकी) निर्माण कराने हेतु नगर परिषद्, नरकटियागंज के द्वारा प्रस्तावित जमीन को स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे जलमीनार (पानी टंकी) निर्माण कार्य अबतक प्रारंभ नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रस्तावित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराते हुये जलमीनार (पानी टंकी) निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*380. श्री (मो0) नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के रफीगंज प्रखंड के चेत पंचायत के वार्ड संख्या 7, 9 एवं 12 एवं बलार पंचायत के वार्ड संख्या 2, 3, 4 एवं 14 में नल-जल योजना में भारी अनियमितता बरती गयी है, जिस कारण उक्त पंचायतों के वार्डों में नल-जल लगने के बावजूद ग्रामवासियों को पानी नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इस घोटाले में लिप्त दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कबतक कार्रवाई करते हुये ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*381. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1). क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड अन्तर्गत मौजा-धिनहुपट्टी, थाना संख्या-82, खाता संख्या-93, खेसरा संख्या-218, रकबा-1.41 ए0 किस्म सर्वसाधारण गड़ही जमीन पर कुछ ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण कर मिट्टी भर दिया गया है, जिसके कारण बरसात के पानी का निकास नहीं हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचल अधिकारी, दुर्गावती ने पत्रांक 136, दिनांक 31 जनवरी, 2019 द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि उक्त भूमि पर 13 व्यक्तियों द्वारा मिट्टी भरकर मकान बना लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*382. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र का मुहल्ला बी0 एड0 कॉलेज कॉलोनी, धरमपुर, न्यू कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी के पीछे बहादुरपुर, आर0 एन0 आर0 कॉलेज कॉलोनी चीनी मिल कॉलोनी तिरहुत एकेडमी कॉलोनी, काशीपुर, आजाद नगर, आदर्श नगर, भुईधारा आदि इलाके खासकर बरसात के दिनों में जलमग्न रहता है, जिससे आमजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र के ऊपर वर्णित मुहल्लों स्थायी जल निकासी हेतु कबतक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

बहाली करना

*383. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले के डुमराँव विधान सभा के सबसे बड़े प्रखंड नावानगर में पूर्णकालिक भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी नहीं हैं और अन्य प्रखंड के पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नावानगर प्रखंड किसी अन्य प्रखंड के भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में होने के कारण किसानों को पशुओं के चिकित्सा में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) अगर उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नावानगर प्रखंड के लिये पूर्णकालिक भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध कराना

*384. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के ग्राम पंचायत खुटहा बैजनाथपुर के ग्राम-खुटहा, वार्ड नम्बर 11 में 150 महादलित भूमिहीन परिवार नहर के किनारे 20 वर्षों से अधिक समय से बसे हुये हैं, अपना जमीन नहीं रहने के कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही कई महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण योजना आदि के लाभ से वंचित होते जा रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार भूमिहीन महादलित परिवारों को बसाने के लिये कबतक नियमानुसार जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*385. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में उन्नतिशील फसलों की गुणवत्ता के आधार पर संस्तुति के लिए भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय एवं राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के तहत विभाग द्वारा विभिन्न फसलों के ट्रायल का प्रावधान वर्ष 2013-2014 तक सुचारू रूप से चल रहा था ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसानों को क्षेत्रवार उन्नतिशील प्रजाति के फसलों को सुनिश्चित करने के लिए आने वाली संस्तुतियों को वर्ष 2014-2015 से ही बंद कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उन्नतिशील प्रजातियों के फसलों/बीजों का ट्रायल कबतक शुरू कराकर किसानों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सहायता राशि देना

*386. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर से पहाड़पुर तक लगभग पाँच पंचायत के हजारों एकड़ खेत में वर्षा का पानी जल निकासी नहीं होने के कारण जमा हुआ है जिसके कारण खेत में लगी धान की फसल बर्बाद हो गयी है और किसान भूखों मर रहे हैं ; यदि हाँ, तो सरकार उक्त खेतों से जल निकासी और नुकसान हुए फसल का सहायता राशि कबतक देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान की व्यवस्था करना

*387. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पैक्स द्वारा किसानों के धान एवं गेहूँ की खरीद के लिए कॉ-ऑपरेटिव विभाग द्वारा पैक्स को ऋण मुहैया किये जाने का प्रावधान है एवं पैक्स द्वारा इस ऋण की राशि से किसानों को धान/गेहूँ खरीद के विरुद्ध भुगतान कर दिया जाता है और इस धान को मिलर से चावल तैयार कर पैक्स द्वारा राज्य खाद्य निगम (स्टेट फूड कॉर्पोरेशन) को चावल मुहैया करा दिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य खाद्य निगम द्वारा समय पर पैक्स को चावल के दाम का भुगतान नहीं किये जाने के कारण पैक्स के ऊपर ऋण की राशि के ब्याज दर का बोझ बढ़ता ही चला जाता है, जिससे पैक्स द्वारा किसानों से धान एवं गेहूँ खरीद की व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पैक्स को राज्य खाद्य निगम द्वारा समय पर धान/गेहूँ के दामों का भुगतान करने की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मछली पालन कराना

*388. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के शंकरपुर प्रखण्ड के रायभीड़ पंचायत के वार्ड नं0-5 के दुर्गा मंदिर प्रांगण में सरकारी पोखर के जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने से मछली पालन नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पोखर का जीर्णोद्धार कर उसमें मछली पालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*389. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा अन्तर्गत प्रखंड आलमनगर प्रखंड चैसा, प्रखंड पुरैनी तथा प्रखंड उदाकिशुनगंज में दिनांक 24 मई, 2021 से 30 मई, 2021 तक भीषण वर्षा होने की वजह से मूंग एवं मकई की फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के निदेश के बावजूद भी फसल की बर्बादी का आकलन अबतक नहीं किया गया जिस कारण से किसानों में काफी आक्रोश है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थानों के फसल की बर्बादी का आकलन कराकर कृषकों को फसल बर्बादी का मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवंटन करना

*390. श्री मुसाफिर पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहाँ विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड मुशहरी में वर्षों से दलित एवं महादलित भूमिहीन समुदाय के लोग रातवारा गंडक शिविर में रहने को बेबस हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त शिविर में रह रहे भूमिहीनों को सरकारी योजना के तहत भूमि आवंटित कर स्थाई रूप से बसाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*391. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले में यूरिया का आवंटन पूर्व में खेती योग्य भूमि के आधार पर किया जाता था, परन्तु अब यह आवंटन पंचायतवार किया जा रहा है, जिससे शक्तिमान यूरिया एक ही थोक बिक्रेता को 80 प्रतिशत मिल जाता है और शेष 20 प्रतिशत में पूरे जिले के अन्य थोक बिक्रेताओं को मिलता है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्व की भांति खेती योग्य भूमि के आधार पर यूरिया का आवंटन करने एवं गलत आवंटन हेतु दोषी पदाधिकारियों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*392. श्री हरिनारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि डॉ0 मिथिलेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नालन्दा जिलान्तर्गत पशु चिकित्सालय, हरनौत में पदस्थापित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना सं0 2681, दिनांक 5 जुलाई, 2011 के द्वारा डॉ0 मिथिलेश कुमार को प्रथम ए0 सी0 पी0 की स्वीकृति मिली है ;

(3) क्या यह बात सही है कि इनके बकाया ए0 सी0 पी0 के राशि का भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में जिला पशुपालन कार्यालय, नालन्दा को आवंटन की राशि उपलब्ध होने के बावजूद भी प्रभारी जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डॉ0 मिथिलेश कुमार के बकाया ए0 सी0 पी0 के राशि का भुगतान का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*393. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभुतिपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला में डीएपी, पोटास एवं यूरिया खादों की कुल 50000 हजार मेट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, जबकि उक्त जिला में मात्र 11055 मेट्रिक टन ही खाद की आपूर्ति की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जिला में मांग के अनुरूप खाद उपलब्ध करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*394. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर नगर परिषद् क्षेत्र में साफ-सफाई एवं घर-घर से कचरा उठाव हेतु आउट सोर्सिंग एजेन्सी कार्यरत है तथा आउट सोर्सिंग एजेन्सी में कार्यरत सफाई कर्मी के अलावा नगर परिषद् के सफाई कर्मी भी कार्य करते हैं, जिन्हें नियमित वेतन एवं पी०एफ० का भुगतान नहीं किया जाता है, यदि हाँ, तो उक्त परिषद् क्षेत्र में कार्यरत सफाईकर्मियों के नियमित वेतन एवं पी०एफ० भुगतान हेतु विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार का निर्माण

*395. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड का गुरपा अत्यन्त दुर्गम जंगल एवं पहाड़ों से घिरा हुआ जल संकट वाला क्षेत्र है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गुरपा में रेलवे जंक्शन एस०एस०बी० कैम्प, पुलिस चौकी तथा बौद्ध पर्यटक स्थल तथा गुरूपद गिरी पर्वत पर बौद्ध मंदिर है, परन्तु यहां पर जल संकट की समस्या रहने के कारण यहां के लोगों को तीन-चार कि०मी० दूर से पानी लाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गुरपा में उच्चस्तरीय जलमीनार का निर्माण कराते हुये जलापूर्ति की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*396. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत कदवा अंचल तथा वैशाली जिला अंतर्गत राघोपुर अंचल में कोई हलका कचहरी भवन नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों अंचल में हलका कचहरी भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*397. श्री अवध बिहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सीवान)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के सीवान नगर परिषद् के वार्ड-17 में जल-जमाव से निजात दिलाने हेतु मालवीय नगर से पूरब प्रयाग नगर तक पी०सी०सी० नाला का निर्माण कराने के लिये 76 लाख 45 हजार 8 सौ रुपये की प्राक्कलन राशि की प्रशासनिक स्वीकृति देने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना में विगत् 6 माह से विभाग में लंबित होने के कारण नाला का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पी०सी०सी० नाला का निर्माण की प्राक्कलन राशि की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुये नाला का निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती हे, नहीं, तो क्यों

मखाना प्रोसेसिंग इकाई शुरू करना

*398. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर व्यापार मंडल स्थित मखाना प्रोसेसिंग इकाई वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गयी थी, जो बंद पड़ी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार झंझारपुर व्यापार मंडल स्थित बंद पड़े मखाना प्रोसेसिंग इकाई को पुनः कबतक प्रारंभ कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*399. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के 6 पंचायतों में वर्ष 2021 में बाढ़ आयी तथा 12 पंचायतें जल-जमाव से ग्रस्त हो गयी हैं जबकि सरकार का बाढ़ से फसल क्षति के लिये 13,500 रुपये तथा जल-जमाव से फसल क्षति के लिये 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर दिये जाने का प्रावधान है, परंतु अभीतक किसी भी किसानों को फसल क्षति मुआवजा नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपर्युक्त पंचायतों में बाढ़ एवं जल-जमाव से हुई फसल क्षति मुआवजा राशि किसानों को कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुहैया कराना

*400. श्री राजकुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के मटिहानी विधान सभा क्षेत्र में डी०ए०पी० खाद एवं पारंपरिक रूप से बोये जाने वाले उन्नत किस्म के बीजों का अत्यंत अभाव है, जिसके कारण किसानों का काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक डी०ए०पी० खाद एवं उन्नत किस्म के बीज किसानों को मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*401. श्री नरेन्द्र कुमार नीरज (क्षेत्र संख्या-153 गोपालपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अंचल के मौजा मक्खा तकिया, थाना सं०-42, खाता सं०-46, खेसरा सं०-616 एवं 1630 के सरकारी जमीन पर लगभग 52 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसकी सूची अंचल अधिकारी, नवगछिया ने पत्रांक 713, दिनांक 5 जुलाई, 2021 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया को भेजी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु ग्रामीणों द्वारा भी विगत् 2 वर्ष पूर्व संबंधित पदाधिकारी को आवेदन दिया गया था फिर भी उक्त सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त अभीतक नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सरकारी जमीन को अतिक्रमण से कबतक मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों

योजना का लाभ देना

*402. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 की धारा 10 भारत सरकार एफ नं० 15-23/2020 एनएफएसए, बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पत्रांक 9-7, दिनांक 20 मार्च, 2020 एवं जन-वितरण प्रणाली (मानवाधिकार) 18/2019-1421(ए) खाद्य, पटना/दिनांक 20 मार्च, 2020 में उल्लेख है कि दिव्यांगजनों को अंत्योदय योजना का लाभ दिया जाये ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के उक्त आदेशों का कार्यान्वयन नहीं हो पाया है, जिससे बिहार के सभी दिव्यांगजन अंत्योदय योजना के लाभ से वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आदेशों का कार्यान्वयन करते हुये बिहार के दिव्यांगजनों को अंत्योदय योजना का लाभ देना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के आलोक में दिव्यांगजनों को अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ देने हेतु विभागीय पत्रांक 1421, दिनांक 20 मार्च, 2020 द्वारा निदेश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पत्रांक एफ नं० 15-23/2020 एनएफएसए, दिनांक 22 अगस्त, 2020 में वर्णित है कि दिव्यांगजनों को पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी के अन्तर्गत भी आच्छादित किया जाये जिसके आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक 3879, दिनांक 24 सितम्बर, 2020 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड निर्गत करने हेतु निदेश दिया गया है।

(2) एवं (3) अस्वीकारात्मक । बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में वर्णित प्रावधान के आलोक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत नियमानुसार जाँचोपरान्त राशन कार्ड निर्गत किया जाता है।

पेयजल आपूर्ति कराना

*403. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, हिलसा के नगरनौसा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत नगरनौसा अंतर्गत वार्ड नं० 01, 04, 05, 06, 07, 08 एवं 09 में पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछा हुआ है तथा घरों में कनेक्सन भी दिया हुआ है, लेकिन पेयजल की आपूर्ति अभीतक नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्डों में सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि देना

*404. श्री मोहम्मद अंजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के टेहाघाट प्रखण्ड के मटियारी पंचायत, दिघलबैंक प्रखण्ड में पत्थरघटी पंचायत एवं बहादुरगंज प्रखण्ड के लौचा पंचायत में आये विनाशकारी बाढ़ से हजारों हेक्टेयर धान, सब्जी एवं फसल की भारी क्षति हुयी है,

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय उदासीनता के कारण उक्त पंचायत के किसानों को नष्ट हुये फसल का मुआवजा राशि नहीं मिल सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों को उनके नष्ट हुये फसल का मुआवजा राशि कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*405. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला सहित सम्पूर्ण बिहार में बड़े पैमाने पर रेल से कट कर भेड़ों की मौत हो जाती है, लेकिन सरकार के तरफ से भेड़ पालकों को किसी तरह की मुआवजा राशि नहीं मिलने से निराश और हतोत्साहित होकर भेड़ पालन की रोजगार में कमी आयी है, यदि हाँ, तो सरकार भेड़ पालकों को मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यूरिया की आपूर्ति

*406. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 2021 के जून, जुलाई एवं अगस्त माह में राज्य में खरीफ फसल की जरूरत के अनुसार काफी कम मात्रा में यूरिया की आपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में खरीफ फसलों की तुलना में रबी फसलों के लिये ज्यादा यूरिया की जरूरत होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रबी फसल के लिये जरूरत के अनुसार यूरिया आपूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य पूर्ण करना

*407. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में शेखपुरा, अरियरी एवं घाट का शुल्क अंचल कार्यालयों में पिछले 10 वर्षों से दाखिल खारिज करने के कार्य में विलंब से निष्पादन बदस्तूर जारी है;

(2) क्या यह बात सही है कि भूमि क्रेताओं को दाखिल खारिज से संबंधित एक हजार से अधिक आवेदन लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचलों में लंबित दाखिल खारीज को कबतक पूर्ण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*408. श्री लखेन्द्र कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-130 पातेपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018 से 2021 तक समग्र गव्य विकास योजना अन्तर्गत स्व लागत से गाय खरीदने के उपरांत राशि का भुगतान अनुदान के रूप में किया जाता है, परन्तु पातेपुर विधान सभा अन्तर्गत जिला गव्य विकास पदाधिकारी, वैशाली द्वारा लाभुकों को उक्त अनुदान की राशि का गलत तरीके से बंदरबांट कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसकी जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कारंवाई करना

*409. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2020-21 के अनुसार राज्य में वर्ष 2015-16 में 7.1 फीसदी क्षेत्रों में दलहन की खेती होती थी, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 6.7 फीसदी हो गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 2015-16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का हिस्सा 21.2 फीसदी था जो वर्ष 2019-20 में घटकर 18.7 फीसदी हो गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा बढ़ाने के लिये सरकार कौन-सी कारंवाई कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*410. श्री मुसाफिर पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहा विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड मुशहरी में मछुआरा मछली पालन कर अपना जीवन यापन करते है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखंड मुशहरी मछुआरा बहुल क्षेत्र होने के बवजूद भी मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था उक्त प्रखंड में नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या उक्त प्रखंड में मत्स्य पालन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*411. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नीमचक बथानी अनुमंडल कार्यालय खिजरसराय में भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी का पद बहुत दिनों से रिक्त है जिसके कारण आमजनता एवं किसानों को भूमि संबंधी कार्य करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पदाधिकारियों को कबतक पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*412. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जन-वितरण प्रणाली की दुकानों में सरकार द्वारा प्रदत अनाज में अधिकतर अरवा चावल ही दिया जाता है, जबकि इस क्षेत्र के लोग उसना चावल खाना पसंद करते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जिला में जन-वितरण प्रणाली की दुकानों पर उसना चावल कबतक उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा अन्त्योदय अन्न योजना के चयनित लाभुकों की पसन्द को ध्यान में रखते हुये विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्थान्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2021-22 से राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्त धान के समतुल्य यथासम्भव उसना चावल प्राप्त कर लक्षित जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभुकों के बीच वितरण की व्यवस्था का निर्णय लिया गया है । तदनुसार कार्रवाई की जा रही है ।

स्वीकृति कराना

*413. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के बोधगया नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत गया-डोभी रोड के दुमुहान मोड़ पर कोविड महामारी के चलते स्थानीय लोगों की सुविधा हेतु एस०बी०एस० मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण करने हेतु नक्शा स्वीकृति के लिये विभाग को भेजा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल के निर्माण हेतु नक्शा अभीतक स्वीकृत नहीं किया गया है जबकि प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्रांक बो०आ० 95, दिनांक 28 जून, 2021 एवं पत्रांक बो०आ० 129, दिनांक 29 जुलाई, 2021 के द्वारा सरकार से नक्शा स्वीकृत करने हेतु पत्र भेजा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल के निर्माण हेतु नक्शा स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार रखना

*414. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अन्तर्गत मोदनगंज प्रखंड सह-अंचल आवासीय भवन के निर्माण हेतु 4.97 एकड़ भूमि में 3.0075 एकड़ भूमि 34 रैयतों से अधिगृहित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रैयतों की सहमति और जिला पदाधिकारी की स्वीकृति (पत्रांक 385, दिनांक 28 अगस्त, 2015) के बावजूद आजतक अधिगृहित भूमि की राशि का भुगतान रैयतो को नहीं किया गया है, जबकि निर्माण कार्य उक्त भूमि पर शुरू कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधिकृत भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान रैयतों को करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*415. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला धान पैदा करने वाला जिला है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कि धान अधिप्राप्ति औरंगाबाद में लक्ष्य के अनुरूप नहीं रहने के मुख्य कारण पैक्सों की सी०सी० लिमिट कम रहना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी पैक्सों के सी०सी० लिमिट को बढ़ाये जाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*416. श्री कृष्ण कुमार मंटू (क्षेत्र संख्या-120 अमनौर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत अमनौर प्रखंड के कोरया पंचायत में जन-वितरण प्रणाली द्वारा सुचारू ढंग से वितरण नहीं किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपभोक्ताओं के द्वारा दिये गये शिकायत के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमनौर ने अपने जाँच में उपभोक्ताओं के शिकायत को सत्य पाया तथा वरीय पदाधिकारी को दोषियों पर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया है, जिसपर अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत में भ्रष्टाचार में संलिप्त दोषियों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू कराना

*417. श्री मोहम्मद अंजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के विधान सभा क्षेत्र 52, बहादुरगंज अन्तर्गत नटवापाडा एवं गुआबाड़ी पंचायतों में जन-वितरण प्रणाली की दुकानों के अनुज्ञप्ति रद्द होने के कारण उपभोक्ताओं को कई किलो मीटर दूर से अपना राशन उठाव के लिये जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार रद्द किये गये जन-वितरण प्रणाली की दुकानों को पुनः कबतक चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आँशिक स्वीकारात्मक। जिला पदाधिकारी, किशनगंज, द्वारा प्रतिवेदित किया है कि बहादुरगंज प्रखण्ड के नटुआपाड़ा पंचायत अन्तर्गत वर्तमान में 04 जन-वितरण प्रणाली बिक्रेता कार्यरत है तथा पंचायत के लाभुकों को सार्वजनिक जन-वितरण प्रणाली अन्तर्गत सामग्री प्राप्त करने हेतु अधिकतम 2-2.5 किलो मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। बहादुरगंज प्रखण्ड के गुआबाड़ी पंचायत अन्तर्गत पूर्व में 02 जन वितरण प्रणाली बिक्रेता कार्यरत थे, जिसमें 01 ज०वि०प्र० बिक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द एवं दूसरे की अनुज्ञप्ति निलंबित है। इस प्रकार वर्तमान में बहादुरगंज प्रखण्ड के गुआबाड़ी पंचायत अन्तर्गत एक भी जन-वितरण प्रणाली बिक्रेता कार्यरत नहीं है, जिसके कारण गुआबाड़ी पंचायत के लाभुकों को निकटवर्ती पंचायत बनगामा के निकटतम 02 ज०वि०प्र० बिक्रेता के साथ संबद्ध किया गया है। पंचायत की भौगोलिक एवं जनसांख्यिकी स्थिति के आलोक में कुछ लाभुकों को खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी भी तय करनी पड़ती है। विभागीय दिशानिर्देश के आलोक में जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों में पंचायतवार रिक्त जन-वितरण प्रणाली दुकानों के लिये नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

भुगतान कराना

*418. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि श्रीमती सुन्दरवासो देवी पति, मुन्द्रिका सिंह ग्राम-मिर्जापुर वार्ड नं०-08 पो+थाना-सासाराम, जिला-रोहतास का विशेष रेल परियोजना के तहत पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर निर्माण कार्य कराने हेतु दो मंजिला पक्का मकान सहित 0.0039 हेक्टर भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सक्षम प्राधिकारी-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के पत्रांक 538, दिनांक 13 अगस्त, 2021 द्वारा मौजा मिर्जापुर, थाना नं०-139, अंचल सासाराम, थाना सासाराम, जिला रोहतास, खाता सं० 22, खेसरा सं० 9, रकबा 0.0039 हेक्टर भूमि सहित दो मंजिला पक्का मकान में 4 बेडरुम, 04 शौचालय, 01 शौचालय की टंकी, किचन दो का, पूर्ण अधिग्रहण किया गया है जिसके संपूर्ण भाग का आंकलन कर क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मकान सहित भूमि का पुनः संपूर्ण भाग का आकलन कराकर क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*419. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया विधान सभा क्षेत्र के ईशुआपुर प्रखंड में ई-किसान भवन का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिसके कारण किसानों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार ईशुआपुर प्रखंड में ई-किसान भवन का कबतक निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लक्ष्य का निर्धारण

*420. श्री सत्येन्द्र यादव (क्षेत्र संख्या-114 मांझी)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति वर्ष 2020-21 में धान का उत्पादन 1,74,797.7 मिट्रिक टन था एवं जिला को धान क्रय का लक्ष्य 80,000.00 मिट्रिक टन निर्धारित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि धान अधिप्राप्ति वर्ष 2021-22 में धान का उत्पादन 26,55,405 मिट्रिक टन होने के बावजूद उक्त जिला को धान का क्रय का लक्ष्य मात्र 90,000.00 मिट्रिक टन निर्धारित किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि गत वर्ष तुलना में 52 प्रतिशत अधिक धान उत्पादन होने के बावजूद जिला को धान क्रय के लक्ष्य से मात्र 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, जबकि अन्य जिलों में उत्पादन के लगभग 50 प्रतिशत अधिप्राप्ति का लक्ष्य इस वर्ष निर्धारित किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अन्य जिलों की तरह सारण जिला को भी उत्पादन के समानुपातिक लगभग 50 प्रतिशत अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*421. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनियाँ)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियां अनुमण्डल के अनुमण्डल मुख्यालय में स्थित पशु चिकित्सालय एवं पानापुर पंचायत के पानापुर गाँव में स्थित पशु चिकित्सालय का भवन जर्जर अवस्था में रहने के कारण पशुपालकों एवं चिकित्साकर्मियों को चिकित्सकीय कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त चिकित्सालय भवन का कबतक जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

त्रुटि दूर कराना

*422. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ऑनलाइन जमाबंदी में काफी त्रुटियों के कारण किसानों के मालगुजारी भुगतान करने के बावजूद ऑनलाइन अपलोड किये गये जमाबंदी में बरसों का लगान बकाया दिखाया जा रहा है, तथा अंचल कर्मी को सुधार हेतु आवश्यक कागजात मुहैया करने के बावजूद सुधार नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों को लगान जमा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऑनलाइन जमाबंदी अपलोड में व्याप्त त्रुटि को दूर कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मरम्मती कराना

*423. श्री राजकुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बेगूसराय नगर निगम के अन्तर्गत सभी 45 वार्डों में ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होने के कारण सामान्य सी बारिश में भी जल-जमाव होने के कारण नारकीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एवं नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सहित अन्य रोजमर्रा में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी का समुचित प्रबंधन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*424. श्री रामबली सिंह (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 04 जून, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''काको के कोठिया में 19 साल में भी पुल की नहीं हुई ढलाई'' के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत नगर पंचायत क्षेत्र के गांव कोठिया और पार कोठिया के बीच एक खतरनाक कड़रूआ नाला बहता है, जिसमें वर्षों से पुल निर्माण हेतु बना पिलर काफी मजबूत है, पर ढलाई आज तक नहीं हो सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नाला के दोनों तरफ सड़क है, पर पुल नहीं रहने के कारण अगल-बगल के दर्जन भर गाँव के लोगों को 8-10 कि0मी0 दूरी तय कर काको बाजार जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुराने पिलर पर ढलाई कार्य या नया पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*425. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत एकमा बाजार में साफ-सफाई का कार्य नहीं कर सरकारी राशि का बंदरबांट कर लिया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सफाई संवेदक सहित विभागीय पदाधिकारियों के विरुद्ध जाँच करवाकर दोषी पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पथ का निर्माण कराना

*426. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के जोगबनी नगर परिषद् के वार्ड संख्या 7 नेताजी चौक से शिव कुमार साह के घर होते हुए प्रवीण सिंह के घर वार्ड संख्या 6 तक का सड़क काफी जर्जर रहने से शहर में जाम की समस्या बनी रहती है एवं सड़क दुर्घटना हमेशा होती रहती है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार उक्त पथ का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*427. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखण्ड के सिंहेश्वर बाजार में अवस्थित डाक बंगला (अतिथि गृह) वर्षों से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिससे लोगों (आगन्तुकों) को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त डाक बंगला (अतिथि गृह) का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*428. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अन्तर्गत मानिकपुर मुशहरनियां पंचायत के मानिकपुर मुशहरनियां गांव के श्रीमती बनारसी देवी, पति-श्री चन्देश्वर राय के नाम से जन-वितरण प्रणाली द्वारा अनाज मिलता था जिनका राशन कार्ड संख्या-10040050068047600110 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्रीमती बनारसी देवी एवं उनके पति का पॉस मशीन पर अंगूठा काम नहीं करने के कारण अनाज नहीं मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रीमती बनारसी देवी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कोई अन्य कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जन-वितरण प्रणाली बिक्रेता की नियुक्ति

*429. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत बघार पंचायत में वार्ड संख्या 01 से 08 तक एक भी सरकारी जन-वितरण प्रणाली की दुकान नहीं रहने के कारण वार्ड के उपभोक्ताओं को अपने राशन लाने के लिए रेलवे लाईन पार कर करीब 03 से 04 किलो मीटर दूर मिर्जापुर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वार्डों में सरकारी जन-वितरण प्रणाली के बिक्रेता की नियुक्ति का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार चालू कराना

*430. श्री नरेन्द्र कुमार नीरज (क्षेत्र संख्या-153 गोपालपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पुनपुन प्रखण्ड के नजदीक जलमीनार का उद्‌घाटन दिनांक 31 जनवरी, 2008 को किया गया था, लेकिन अभीतक चालू नहीं किया गया है, जबकि इस जलमीनार के निर्माण में प्राक्कलित राशि लगभग 21 लाख तक खर्च की गई थी, लेकिन इसका लाभ जनता तक पहुंच नहीं पाया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जलमीनार को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान का वितरण

*431. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 अक्टूबर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''बाढ़ व बारिश में डूबी मिर्ची, करोड़ों का नुकसान'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में भागलपुर जिला के पीरपैंती, कहलगाँव, बाराहाट, गोपालपुर सहित अन्य प्रखंडों में बाढ़ एवं बारिश के कारण 700 एकड़ में लगी मिर्ची की फसल बर्बाद हो गयी है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर तथा मधुबनी में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती की बर्बादी हुई है, जिसके कारण राज्य के किसानों की आर्थिक हालत दयनीय हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार इसका सर्वेक्षण कराकर मिर्ची एवं सब्जी की फसल बर्बाद होने के कारण राज्य के किसानों को ईनपुट अनुदान का वितरण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कमीशन राशि बढ़ाना

*432. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जन-वितरण प्रणाली के वितरकों को कमीशन राशि 70 पैसा प्रति किलो मिलता है, जिसके कारण इन्हें जीवन-यापन करने में कठिनाई होती है, जबकि दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश में रु0 2 प्रति किलो कमीशन है, यदि हाँ, तो सरकार जन-वितरण प्रणाली से जुड़े वितरकों की समस्या को दूर करने के लिए कमीशन राशि बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक। भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम 2015 के तहत जन-वितरण प्रणाली बिक्रेताओं को मार्जिन मद में रु0 70/- प्रति क्विंटल की निर्धारित दर पर राशि दी जाती है। इससे अधिक राशि मार्जिन मद में देना संभव नहीं है।

जन-वितरण प्रणाली बिक्रेताओं को देय मार्जिन मनी/कमीशन में संशोधन के संबंध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नियुक्ति करना

*433. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 24 अप्रील, 2020 को जारी विज्ञप्ति संख्या UD&H/CTM-2020/01 में नगर प्रबंधक (सिटी मनेजर) 163 पदों के लिए परीक्षा, मेधा सूची जारी करने तथा सफल अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन हो जाने के बावजूद भी अन्तिम परिणाम लंबित रखा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा परीक्षा में सफल अभ्यार्थियों से पूर्व में कार्यरत स्थानों से NOC मंगवा लिया गया जिससे उनका पुराना रोजगार भी छूट चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे अभ्यार्थियों को अन्तिम परिणाम और नियुक्ति पत्र कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घाटों का पक्कीकरण

*434. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर शहर में छठव्रतियों के लिए छठ घाट पक्का नहीं रहने के कारण हर वर्ष घाटों की मरम्मती करानी पड़ती है जिसपर हर वर्ष करोड़ों रूपये खर्च किये जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार हर वर्ष होनेवाले मरम्मती के खर्च को रोकने हेतु भागलपुर शहर स्थित सभी घाटों का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*435. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना शहर में बड़े पैमाने पर स्लम व महादलित जो सालों-साल से गुजर-बसर कर रहे हैं, जिन्हें बिना वैकल्पिक व्यवस्था के मेट्रो रेल के निर्माण किये जाने के कारण उजाड़ा जा रहा है, जिससे वे बेघर हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उजाड़ने के पहले स्लम व महादलित बस्तियों में रहने वाले गरीबों को आवास देने हेतु कब तक व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*436. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड विधान सभा अंतर्गत पुपरी प्रखंड के वार्ड सं0-01 में शमशुल लहाख के घर से जफखल्लाह खान के घर होते हुए सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय तक सड़क कच्ची तथा पक्का नाला न होने के कारण सड़क पर जल-जमाव की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जगह पर कबतक पी0सी0सी0 सड़क एवं ढक्कन सहित नाला का निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभ दिलाना

*437. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाऊदनगर परिषद् में विगत 5 वर्षों में हर घर नल-जल योजना के तहत 13-14 करोड़ की राशि खर्च की गयी है, परन्तु अभीतक उक्त वर्णित नगर परिषद् में प्रवास कर रही आबादी उक्त सुविधा से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित नगर परिषद् में जलापूर्ति योजना का लाभ लोगों को दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*438. श्री निरंजन राय (क्षेत्र संख्या-88 गायघाट)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट प्रखंड अंतर्गत दहिला पटशर्मा एवं भूसरा एकल में ग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतर्गत आधा-अधूरा पाइपलाइन ही बिछाया गया है, जिससे जलापूर्ति बाधित है तथा योजना की पूरी राशि निकाल ली गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना में संवेदक एवं कार्यपालक अभियंता के मिलीभगत से भारी अनियमितता की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*439. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत शहरी आवास योजना के लाभुकों को द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि के भुगतान पर जिला पदाधिकारी के ज्ञापांक 20, दिनांक 11 जनवरी, 2021 द्वारा रोक लगा दी गई है, जिसके कारण लाभुक मकान बनाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त रोक को हटाकर लाभुकों को द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड बनवाना

*440. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला अंतर्गत शेखपुरा अनुभाजन पदाधिकारी की अकर्मण्यता के वजह से राशि कार्ड बनाने तथा खाद्यान्न के वितरण में अनियमितता हो रही है, जिससे हजारों गरीब परिवार राशन-किरासन से वंचित हो रहे हैं जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा संबंधित पदाधिकारी से की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार शेखपुरा में अनुभाजन कार्यालय को भ्रष्टाचार से मुक्त कराकर कबतक गरीब परिवारों को राशन कार्ड बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था कराना

*441. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनियाँ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियाँ अनुमण्डल मुख्यालय में स्थायी सार्वजनिक पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं रहने के कारण मुख्यालय में आम-जनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार मोहनिया अनुमंडल मुख्यालय में स्थायी सार्वजनिक पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पंचायत का दर्जा देना

*442. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत प्रखंड कुटुम्बा के कुटुम्बा एवं अम्बा पंचायतें मिलाकर नगर पंचायत होने का अर्हता पूर्ण करती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कुटुम्बा को कबतक नगर पंचायत का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुक्त कराना

*443. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-10 रक्सौल)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत रक्सौल स्थित हरैया बीज प्रक्षेत्र मन (तालाब) मृत स्थिति में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हरैया बीज प्रक्षेत्र मन (तालाब) मृत्य स्थिति में रहने के कारण सरकार को राजस्व की क्षति होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मन (तालाब) को बीज प्रक्षेत्र से मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पथ का निर्माण

*444. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के जोगबनी नगर परिषद् के जोगबनी स्टेशन के पास से कुलदीप स्मारक से टिकुलिया बस्ती होते हुए मंटू भगत के घर से जगनारायण भगत के लकड़ी मिल से आगे मुख्य सड़क का पथ काफी जर्जर है, जिसके कारण शहर में जाम की समस्या बनी रहती है एवं सड़क दुर्घटना हमेशा होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पथ का निर्माण कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी सम्पत्ति घोषित करना

*445. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत योगापट्टी अंचल के फतेहपुर मठ की निजी जमीन व अनाज के उपज को लेकर बराबर झगड़ा-मुकदमा के साथ-साथ स्थानीय स्तर पे तनाव बना हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस समस्या का स्थाई समाधान हेतु उक्त मठ की जमीन को सरकारी सम्पति घोषित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*446. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सभी पंचायतों को हलका घोषित करने के पश्चात् केवटी एवं सिंघवारा प्रखण्ड में कुल 48 पंचायतों में सिर्फ 09 कर्मचारी ही पदस्थापित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में स्वीकृत पद के अनुरूप राजस्व कर्मचारी का पदस्थापन कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निरस्त करना

*447. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में वि0स0-01/2021 द्वारा अधिष्ठाता-सह-प्राचार्य की नियुक्ति हेतु पी0 एच0 डी0 (कृषि एवं उद्यान) की अर्हता थी क्योंकि इस विश्वविद्यालय में कृषि एवं उद्यान का ही शिक्षण होता है जिसे विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद् एवं प्रबंधन बोर्ड की 32 वीं बैठक में अनुमोदित भी किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्वत परिषद् एवं प्रबंधन बोर्ड की स्वीकृति के बिना ही प्राचार्य-सह-अधिष्ठाता पद हेतु विज्ञापन में संशोधन करके शुद्धि का सं0 189, दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 के द्वारा अर्हता पी0 एच0 डी0 में कृषि उद्यान के साथ-साथ अप्रासंगिक पशु विज्ञान डेयरी एवं मत्स्य वाले योग्यताधारी को भी अनुमति दे दिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कृषि विश्वविद्यालय में प्राचार्य-सह-अधिष्ठाता पद हेतु पी0 एच0 डी0 में कृषि एवं उद्यान ही रखते हुए शुद्धि पत्र 189, दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 को निरस्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला बनवाना

*448. श्रीमती बीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि महनार विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जन्दाहा नगर पंचायत के जन्दाहा बाजार का नाला क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से जन्दाहा बाजार में सालों भर जल-जमाव की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार बाजार किनारे नया नाला बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पक्कीकरण करवाना

*449. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा नगर परिषद् में जबलपुर संथाली टोला के वार्ड नं0-17 से रेलवे गुमटी होते हुए चिमनी बाजार तक सड़क कच्ची है, जिसके कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कच्ची सड़क का पक्कीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड उपलब्ध कराना

*450. <u>श्री अवध बिहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सीवान)</u>--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला में 19 प्रखण्ड एवं 1 नगर परिषद् एवं 8 नगर पंचायत मिलाकर साढ़े तीन लाख राशन कार्ड के लिए एक वर्ष पूर्व दिये गये आवेदन में से अबतक 95000 (पंचानवे हजार) राशन कार्ड लाभार्थियों को, अबतक राशन कार्ड नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार 95000 लाभार्थियों को राशन कार्ड शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण कराना

*451. <u>श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)</u>--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला को ताजपुर प्रखंड के अधीन ताजपुर को 9 माह पूर्व नगर परिषद् का दर्जा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नगर परिषद् अन्तर्गत स्थाई रूप से पानी की निकासी नहीं होने के कारण जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नगर परिषद् में जल-जमाव की स्थिति से निपटने हेतु नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परिमार्जन को पूर्ण कराना

*452. <u>श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)</u>--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गुरारू प्रखण्ड, गुरूआ प्रखण्ड एवं परैया प्रखण्डों में अभीतक किसानों की भूमि का परिमार्जन पूर्ण नहीं हो सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों में परिमार्जन के चलते किसानों को ऑनलाइन रसीद कटवाने में कठिनाई हो रही है, जिससे किसानों को पैक्सों में धान विक्रय करने में काफी कठिनाई होती है, जिससे बिचौलियों द्वारा औने-पौने में किसानों से धान खरीद लिया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए वर्णित प्रखण्डों में शीघ्र परिमार्जन को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*453. <u>श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)</u>--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अपर समाहर्ता, मधुबनी के ज्ञापांक 336, दिनांक 9 फरवरी, 2021 द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर, मधुबनी को NFDB योजना के तहत पंडौल अंचल अन्तर्गत खुदरा मछली बाजार भवन निर्माण हेतु भूखण्ड चिन्हित कर खाता, खेसरा एवं रकवा इत्यादि की पूर्ण विवरणी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था, परन्तु अभी तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार खुदरा मछली बाजार भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धान क्रय करना

*454. <u>श्री विश्वनाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर)</u>--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के राजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रखण्ड-राजपुर, इटाढ़ी, डुमरांव में आजतक धान क्रय चालू नहीं होने से किसान बिचौलियों के हाथों धान बेचने के लिए मजबूर हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्डों में पैक्सों एवं व्यापार मंडल से धान क्रय कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय खोलना

*455. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत अमौर प्रखंड के अमौर पंचायत का वर्ष 2020 में नगर पंचायत में अधिसूचित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है अमौर को नगर पंचायत अधिसूचित करने के बाद वहां पर नगर पंचायत का कार्यालय स्थापित नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को निबंधन एवं कर शुल्क जमा करने में लोगों को काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उयर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक अमौर में नगर पंचायत का कार्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्वास कराना

*456. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत एन०एच०-106 उदाकिशुनगंज से फुलौत तक भूतल एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पथ के चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस पथ के दोनों किनारे गरीब लोग घर बनाकर रह रहे थे जिन्हें प्रशासन द्वारा विस्थापित कर दिया है ;

(3) अगर उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे विस्थापित परिवारों का सर्वेक्षण कराकर अभियान बसेरा के तहत 5-5 डी० जमीन देकर पुनर्वास कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कर्मचारियों का स्थानांतरण

*457. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सभी अंचल कार्यालय में प्रतिनियुक्त राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण विगत तीन वर्षों से नहीं किया गया है जबकि सरकारी नियमानुसार एक स्थल पर तीन वर्षों से प्रतिनियुक्त कर्मचारी का तबादला अन्यत्र स्थल पर किया जाना है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित जिलों के राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सदुपयोग करना

*458. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला का कृषि फॉर्म पीरपैंती पिछले दशक से पूर्णत: बंद पड़ा है जिसके कारण सुंदरपुर में कृषि फॉर्म की लगभग 26 एकड़ जमीन बेकार और बंजर हुई पड़ी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बंद पड़े कृषि फार्म को कबतक पुन: सुचारू रूप से शुरू कर बेकार पड़े कृषि योग्य भूमि का कृषि कार्य में सदुपयोग कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ

*459. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत कोईलवर प्रखंड के ग्राम धनडीहा के 24 नं० बोरिंग के नजदीक श्री शिवजी प्रसाद एवं अन्य मकान को छोड़कर अन्य स्थानों पर नल-जल योजनान्तर्गत नल-जल योजना का लाभ दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार श्री शिवजी प्रसाद एवं अन्य मकानों में भी नल-जल योजना का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*460. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर की स्थापना वर्ष 2010 में होने के उपरांत विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड की प्रथम बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय का परिनियम नहीं होने के कारण राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय का परिनियम लागू रहेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के परिनियम में निदेशक योजना पद का नियुक्ति नियमावली यथा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, चयन समिति का गठन एवं नियुक्ति प्राधिकार विहित नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो निदेशक, योजना का पद बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सृजित किये जाने का औचित्य क्या है ?

कार्रवाई करना

*461. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत नगर परिषद् बरौली के वॉड सं० 6, 7, 8, 12, 14 समेत एक दर्जन से अधिक वार्डों में नल-जल आपूर्ति का काम शुरू किया गया परन्तु गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होने के कारण जल आपूर्ति का कार्य अधूरा है ;

(2) यदि हाँ तो क्या सरकार उपर्युक्त स्थलों पर नल-जल योजना से कराये गये कार्यों की जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई तथा जलापूर्ति योजना का कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर पंचायत बनाना

*462. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रुन्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रुन्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय से सटे रून्नीसैदपुर उतरी, मध्य, देवनाबुजुर्ग एवं मोरसंड पंचायतों को मिलाकर नगर पंचायत बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण कराना

*463. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिले के दिउलिया नरकटियागंज नगर परिषद् के वार्ड नंबर 24 एवं वार्ड नंबर 25 की जमीन नरकटियागंज एस०एस०बी० भर्ती केन्द्र बनने के बाद जल-जमाव से ग्रस्त हैं, यदि हाँ, तो सरकार नाला निर्माण कराकर उक्त जगहों से कबतक जल निकासी की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*464. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 नवम्बर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''डी०ए०पी० को लेकर जिले के किसानों के बीच मचा हाहाकार'' के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिले में 1503 मीट्रिक टन डी०ए०पी० खाद उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिले में किसानों को डी०ए०पी० खाद सरकारी बाजार मूल्य 1200 रुपये के बदले 1500-1600 रुपये प्रति बैग मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कटिहार जिला में डी०ए०पी० खाद की हो रही कालाबाजारी की जांच करा कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*465. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया विधान सभा के अंतर्गत पानापुर, ईशुआपुर एवं तरैया में 10 वर्ष पूर्व पशु अस्पताल की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसका भवन नहीं रहने के कारण किराये के मकान में संचालित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में पशु अस्पताल के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*466. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (क्षेत्र संख्या-240 सिकन्दरा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा प्रखंड के सिकन्दरा नगर पंचायत को 50 एकड़ भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग, 333 ए (सिकन्दरा-जमुई) दक्षिण ओर पड़ता है, को स्थानीय दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर कबतक उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मिट्टी भरवाना

*467. श्री शम्भू नाथ यादव (क्षेत्र संख्या-199 ब्रहमपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के ब्रहमपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड ब्रहमपुर, प्रखंड-सेमरी एवं प्रखंड-चक्की में नल-जल योजना के तहत सभी गांवों में सड़क एवं गली में खुदाई कर नल-जल योजना का कार्य कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँवों में सड़क एवं गली की खुदाई कर नल लगाया गया पर आज तक सड़क एवं गली की खुदाई किये गये स्थान पर मिट्टी का भराई नहीं किया गया है, जिससे आमजनता को आने-जाने में काफी परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नल-जल योजना के तहत सड़क एवं गली की खुदाई किये गये स्थान पर मिट्टी भराई का कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । ''हर घर नल का जल'' योजना अंतर्गत जमीन के नीचे पाइप बिछाने हेतु गाँवों में सड़क एवं गली खुदाई किया जाता है । पाइप बिछाने एवं गृह जल संयोजन के उपरान्त पुन: जमीन भरकर तोड़े गये सड़क का रोड रेस्टोरेशन कार्य करा दिया जाता है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । अधिकांशत: रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा शेष का भी रोड रेस्टोरेशन कार्य कराया जा रहा है ।

(3) ''हर घर नल का जल'' योजना अंतर्गत ब्रहमपुर विधान सभा के प्रखंड ब्रहमपुर में 256 वार्ड, प्रखंड चक्की में 54 वार्ड एवं प्रखंड सिमरी में 287 वार्ड सहित कुल 597 वार्ड है । ब्रहमपुर प्रखंड के 80 वार्ड PRD द्वारा कार्य कराया गया है । शेष लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर द्वारा ''हर घर नल का जल'' योजना के तहत 517 वार्ड में कार्य कराया जाना है । 517 वार्डों में से 475 वार्ड में कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं अधिकांशत: रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा जलापूर्ति चालू है । प्रखंड सिमरी के शेष बचे 42 वार्ड बहुग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना सिमरी से आच्छादित होना है । जिसका कार्य एक माह के अंदर पूर्ण करा दिया जायेगा ।

कार्रवाई करना

*468. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि यांत्रिकीकरण के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 के लिये पटना जिले के प्रत्येक पंचायत से वैसे एक किसान जो कोरोना अवधि में बाहर (राज्य) से आये हुये हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें कृषि यंत्र बनाने के लिये प्रशिक्षित किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना जिला में प्रथम प्रशिक्षण में नियमों की अवहेलना करते हुये वैसे किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो इसकी अर्हता पूरी नहीं करते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लाइट चालू कराना

*469. डॉ० सी० एन० गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक ''छपरा में 90 प्रतिशत स्ट्रीट लाइट खराब'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत छपरा नगर निगम में दारोगा राय चौक होते हुये ब्रहमपुर पुल पथ व फ्लाई ओवर ब्रिज से थाना चौक आदि स्थानों पर 3193 स्ट्रीट लाइट में 90 प्रतिशत लाइट विगत् सात से आठ माह तक खराब है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ईईएसएल कम्पनी से 30 अक्टूबर, 2017 में हुये अनुबंध में तय है कि यदि कोई लाइट 72 घंटे से अधिक समय तक खराब रहती है, तो इसके लिये 25 रुपया प्रतिदिन प्रति पोल जुर्माना लिया जायेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कम्पनी से प्रति पोल तय की गयी राशि का जुर्माना लेते हुये उक्त 90 प्रतिशत खराब लाइट को कबतक चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैण्ड का निर्माण

*470. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत नगर पंचायत चेनारी बाजार में बस स्टैंड न होने की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक चेनारी में बस स्टैंड निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खरीद की व्यवस्था कराना

*471. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में मक्का उत्पादन विश्व स्तर पर होता है जिसमें मक्का फसल पर पिछले वर्ष 1760 MSP एवं इस वर्ष 1850 MSP रहने के बावजूद 900 रु० से 1,300 रु० तक बिचौलियों के हाथों बेचने पर मजबूर हैं, यदि हाँ, तो सरकार उत्पादित मक्का को सम्पूर्ण भाग निर्धारित MSP पर खरीद की व्यवस्था कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण कराना

*472. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के नगर परिषद् शेरघाटी के वार्ड नम्बर 20 लोदी शहीद मस्जिद के सामने से चन्दा होते हुये बुढ़िया नदी तक नाला का निर्माण नहीं होने के कारण वार्ड नम्बर 16, 17, 18, 19, 20 का जल निकासी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है तथा यत्र-तत्र सारा गन्दा जल जमा हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर नाला ढक्कन सहित निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पथ का निर्माण कराना

*473. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत सभी सड़कें विशेषकर वार्ड नम्बर 2, 5, 9, 11, 12, 14, 19, 20, 21 एवं 33 में जर्जर स्थिति रहने के कारण शहर के अंदर यातायात बाधित रहता है तथा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथों का निर्माण कराने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्ट्रीट लाइट लगवाना

*474. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत एकमा बाजार में स्ट्रीट लाइट नहीं रहने से यहाँ के व्यापारियों के साथ-साथ आमजनों को रात्रि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार एकमा बाजार के सभी पोल पर स्ट्रीट लाइट कबतक लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*475. श्री (मो0) नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला औरंगाबाद के रफीगंज विधान सभा क्षेत्र में डी0ए0पी0 खाद नहीं मिलने के कारण किसान रब्बी फसल की बुआई नहीं कर पा रहे है, यदि हाँ, तो क्या सरकार डी0ए0पी0 खाद समय पर उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अपरिवर्तित करना

*476. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया विधान सभा के नवसृजित नगर पंचायत, मच्छरगाँवा का नाम योगापट्टी हो गया है, जबकि योगापट्टी के नाम से कोई बसावट गाँव, टोला, मोहल्ला नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचल कार्यालय द्वारा जिला कार्यालय को भेजी गई रिपोर्ट में शहर का नाम मच्छरगाँवा का ही उल्लेख किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अंचल कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर नगर पंचायत मच्छरगाँवा का नाम मच्छरगाँवा ही रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*477. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा नगर पंचायत अन्तर्गत वार्ड नम्बर-1, सैदपुर-मानपुर बाजार से डफ़ारी टोला गुप्तेश्वर स्थान होते हुये एन0एच0 19 तक सड़क जर्जर अवस्था में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सड़क के दोनों ओर घनी आबादी आवासित है, पक्का नाला नहीं रहने के कारण घरों से निकलने वाले नालियों का गंदा पानी एवं वर्षा के पानी का निकासी नहीं होने से सालों भर जल-जमाव रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण नाला के साथ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्निर्माण कराना

*478. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज नगर परिषद् को स्वच्छ रखने के लिये काव नदी के पास निर्मित कचरा यार्ड तक वाहन व ट्रॉली जाने के लिये करीब 300 फीट पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण छः माह पूर्व हुआ था, जिसमें 90 फीट पी0सी0सी0 सड़क टूट चुकी है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करते हुये खराब सड़क का पुनर्निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*479. श्री विश्वनाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के राजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रखंड-राजपुर, इटाढ़ी, डुमराँव स्थित पशु अस्पताल में पशु चिकित्सक पदस्थापित नहीं रहने के कारण पशु पालकों को प्राईवेट पशु चिकित्सक के पास पशुओं को दिखाने जाना पड़ता हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में स्थित पशु अस्पतालों में पशु चिकित्सकों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला बनाना

*480. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बखरी नगर परिषद् अन्तर्गत बखरी बाजार में नाला नहीं रहने के कारण मुख्य बाजार में जल-जमाव की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बखरी बाजार में आर0सी0सी0 नाला बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*481. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड में एम0ओ0 का पद खाली है, जहाँ पर बथनाहा एम0ओ0 प्रभार में काम कर रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बथनाहा एम0ओ0 सोनबरसा प्रखंड में पंचायत चुनाव के कारण जो डीलर का प्रभार निकट के डीलर को देना था उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर एम0ओ0 बथनाहा पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक । जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी ने अपने पत्रांक 500, दिनांक 23 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बथनाहा-सह-प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनबरसा के पत्रांक 146, दिनांक 9 नवम्बर, 2021 से पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में जन वितरण प्रणाली एवं उसके निकटतम संबंधी के अभ्यर्थी होने के कारण संबद्धता प्रस्ताव प्राप्त हुआ । प्राप्त प्रस्ताव में दूरी संबंधित प्रतिवेदन उल्लेखित नहीं होने के कारण अबतक अनुमंडल, पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर के कार्यालय से संबद्धता आदेश निर्गत नहीं किया गया है । इस संबंध में जिला आपूर्ति कार्यालय के पत्रांक 932, दिनांक 20 नवम्बर, 2021 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव की पुन: स्थलीय जाँच हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनबरसा को निदेशित किया गया है ।

(3) वर्तमान में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक, सोनबरसा का पद रिक्त है । जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के आदेश ज्ञापांक 253, दिनांक 20 जुलाई, 2021 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बथनाहा को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनबरसा का प्रभार सौंपा गया है । विभागीय पत्रांक 4259, दिनांक 6 अक्टूबर, 2021 के आलोक में कार्रवाई नहीं करने तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनबरसा से प्राप्त संबंद्धता प्रस्ताव में दूरी से संबंधित कोई प्रतिवेदन उल्लेखित नहीं होने के कारण प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनबरसा से जिला आपूर्ति कार्यालय का पत्रांक 933, दिनांक 20 नवम्बर, 2021 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी है ।

निर्माण कराना

*482. श्री मोतीलाल प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा प्रखंड का भौदेपुर गाँव अब नगर निगम सीतामढ़ी में शामिल हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव का मुख्यालय भौदेपुर रेल गुमटी से अम्बेदकर चौक, भौदेपुर तक के सड़क की स्थिति बहुत खराब और जर्जर है जिससे प्रतिदिन हजारों लोग आते-जाते है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*483. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के कुलपति की नियुक्ति बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 में विहित प्रावधान के अधीन की जानी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के कुलपति की अस्थाई रिक्ति होने पर कुलपति का प्रभार बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 20 की उप-धारा 7 के अधीन विश्वविद्यालय के वरिष्ठ निदेशक/संकाय के डीन को दिये जाने का प्रावधान विहित है तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 2 की उप-धारा 13 में स्पष्टत: विहित है कि निदेशक से अभिप्रेत है (1) निदेशक, रेजिडेंट शिक्षण (2) निदेशक, शोध और (3) निदेशक विस्तार शिक्षा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन कर प्रभारी कुलपति बनाये जाने के मामले की जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*484. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम में पिछले 9 महीने से नियमित नगर आयुक्त का पदस्थापन नहीं किया गया है जिसके कारण स्मार्ट सिटी सहित सभी परियोजनाएँ विलम्बित हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक भागलपुर नगर निगम में नगर आयुक्त का नियमित पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 2 दिसम्बर, 2021 (ई0) ।

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 43(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550